प्रस्तावना (Preamble) – विस्तृत नोट्स

1. प्रस्तावना की परिभाषा

भारत के संविधान की प्रस्तावना वह प्रारम्भिक उद्घोषणा है जो संविधान के स्रोत, राज्य की प्रकृति, उद्देश्यों तथा मूल आदर्शों—न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता—को संक्षेप में व्यक्त करती है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है और यह संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक सिद्धांत का कार्य करती है।

2. प्रस्तावना के स्रोत

13 दिसम्बर 1946 को पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) पर आधारित।

22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया।

इसी उद्देश्य प्रस्ताव का परिष्कृत रूप संविधान की प्रस्तावना बना।

3. प्रस्तावना में निहित प्रमुख तत्त्व

(क) संविधान का स्रोत – "हम, भारत के लोग..." → संविधान की शक्ति जनता से आती है।

(ख) राज्य की प्रकृति – संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य (42वाँ संशोधन, 1976)।

(ग) नागरिकों को दिए जाने वाले आदर्श – न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता।

4. प्रस्तावना का महत्व

संविधान की आत्मा और दर्शन को व्यक्त करती है।

संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक के रूप में प्रयुक्त होती है।

राज्य की नीतियों और उद्देश्यों को दर्शाती है।

लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों का सार प्रस्तुत करती है।

5. न्यायालय का दृष्टिकोण

बेरुबारी मामला (1960) – प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं।

केशवानंद भारती मामला (1973) – प्रस्तावना संविधान का भाग है और मूल संरचना को दर्शाती है।

6. प्रस्तावना में संशोधन

42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 – समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए।

7. प्रस्तावना की विशेषताएँ

संक्षिप्त परन्तु व्यापक।

संविधान के दर्शन और आदर्शों का सार।

लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा।

न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के बीच संतुलन।